

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 20.11.2023

1.5 कि०ग्रा अवैध गांजा व 03 चोरी की मोबाइल के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में उ०नि० महेश कुमार चौबे मय टीम द्वारा अभियुक्त महेन्द्र गिरि पुत्र स्व० राम विलाश निवासी जंगल किता सेन इन्दुपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया के कब्जे से 1.5 कि०ग्रा० नाजायज गांजा व चोरी की 03 अदद मोबाइल के साथ बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 802/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 411 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

महेन्द्र गिरि पुत्र स्व० राम विलाश निवासी जंगल किता सेन इन्दुपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

बरामदगी-

1. नाजायज गांजा 1.5 कि०ग्रा०
2. चोरी की 03 अदद मोबाइल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 702/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 411 भा०द०वि० थाना कैण्ट, गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 349/2017 धारा 328, 34, 379, 411, 413 भा०द०वि० GRP गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 1271/2006 धारा 8/22 NDPS Act थाना कैण्ट
4. मु०अ०सं० 1136/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना कैण्ट
5. मु०अ०सं० 240/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० थाना चौरीचौरा
6. मु०अ०सं० 483/2011 धारा 328, 379, 411, भा०द०वि० GRP गोरखपुर
7. मु०अ०सं० 489/2011 धारा 8/20/21 NDPS Act GRP गोरखपुर
8. मु०अ०सं० 544/2017 धारा 8/20/21 NDPS Act GRP गोरखपुर
9. मु०अ०सं० 545/2017 धारा 41/411 भा०द०वि० GRP गोरखपुर
10. मु०अ०सं० 682/2011 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना GRP गोरखपुर
11. मु०अ०सं० 489/2011 धारा 8/20/21 NDPS Act GRP गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० महेश कुमार चौबे चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. हे०कां० विरेन्द्र तिवारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर